रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2164] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939
No. 2164] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/SRAVANA 12, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त , 2017

का.आ. 2464(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 795 (अ), तारीख 10.03. 2017 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के 198.694 कि.मी. से 294.000 कि.मी. (मार्कापुरम-- वागमपल्ली सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08 जून, 2016 और सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है)के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के मार्कापुरम-- वागमपल्ली सेक्शन के 198.694 कि.मी. से 294.000 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 198.694 कि.मी. से 293.266 कि.मी.) शोल्डर सहित दो लेन के खण्ड के उपयोग के लिए लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 94.572

कि.मी. हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60 % की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
प्रकाशम जिले में मकलवरीपल्ली गाँव के पास 217.050 किमी पर (198.694 किमी से 245.980 किमी)	43.085	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
प्रकाशम जिले में रवीगुंटापल्ली गाँव के पास 285.100 किमी (245.980 किमी से 293.266 किमी) पर	45.2442	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये से अधिक के लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों का नाम चैनेज सहित	बाइपास की लम्बाई (किमी में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
प्रकाशम जिलों में मकलवरीपल्ली गाँव के पास 217.050 किमी (198.694 किमी से 245.980 किमी) पर	मार्कापुरम- बाइपास 203.500 किमी से 207.000 किमी तक	3.500	21.45	आधार दरों का 90% (अर्थात ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों के 60 % का डेढ़ गुना)
प्रकाशम जिलों में रवीगुंटापल्ली गाँव के पास 285.100 किमी (245.980 किमी से 293.266 किमी तक)	कनिगिरि बाइपास 263.322 किमी से 265.289 किमी तक	1.8275 # (बड़े पुल की 139.5 मी लंबाई को छोड़कर)	24.70	आधार दरों का 90% (अर्थात ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों के 60 % का डेढ़ गुना)

IndiaCode

1.8275 किमी की लंबाई (अर्थात कनिगिरी बाइपास की लंबाई 1.967 किमी बड़े पुल की 139.50 मी. लंबाई को घटाकर) जिसे उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पुल के वास्तव में पूरा हो जाने पर, कनिगिरी बाइपास के लिए प्रयोक्ता शुल्क पीसीसी / सीसी के अनुसार संग्रहीत किया जाए।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु 'संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
प्रकाशम जिलों में मकलवरीपल्ली गाँव के पास 217.050 किमी पर (198.694 किमी से 245.980 किमी तक)	0.701* (203.224 किमी से 203.350 किमी तक और 208.960 किमी से 209.535 किमी तक)	7.010	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
प्रकाशम जिलों में रवीगुंटापल्ली गाँव के पास 285.100 किमी पर (245.980 किमी से 293.266 किमी)	0.2143** (263.393 किमी से 263.533किमी तक और 275.222 किमी से 275.296 किमी तक)	2.143	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी.)		लम्बाई (मी.)
	से	तक	
1	203.224	203.350	126.00
2	208.960	209.535	575.00
		योग	**701.00**

** 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी.)		लम्बाई (मी.)
	से	तक	
1	263.393	263.533	139.50#
2	275.222	275.296	74.80
		योग	**214.30**

#कनिगिरी बाईपास के बड़े पुल की 139.50 मीटर लंबाई वाले भाग को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जब भी पुल वास्तव में पूरा हो जाए, पुल के लिए प्रयोक्ता शुल्क पीसीसी / सीसी के अनुसार संग्रहीत किया जाए।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रूपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

IndiaCode

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता।

8 . यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों के लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना खंड की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 अनुसार उसमें प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा और उसे अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 384.06 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[सं. भाराराप्रा/ 13013 /809 /सीओ/16-17/ जीसी-मार्कापुरम-वागमपल्ली]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

India Code

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2017

S.O. 2464(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 795(E) dated 10.03.2017, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from 198.694 to km. 294.000 (Markapuram to Vaggampalle section) of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October,2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December,2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November,2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016, G.S.R 1114(E) dated 02nd December, 2016 and G.S.R 248(E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 94.572 km. (hereinafter referred to as "base rate") for use of the Two Lane with paved shoulder section on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below for the use of Markapuram to Vaggampalle Section from km. 198.694 to km. 294.000 (Design Chainage from km. 198.694 to km. 293.266) of National

Highway number 565 in the State of Andhra Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km.for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 217.050 Near Mekalavaripalli village in Prakasam District (From km 198.694 to km 245.980)	43.085	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 285.100 Near Raviguntapalli village in Prakasam District (From km 245.980 to km 293.266)	45.2442	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

IndiaCode

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable		Rate at which Fee is payable
		Length (in Km)	Cost (Rs. in Crore)	
At km. 217.050 Near Mekalavaripalli village in Prakasam District (From km. 198.694 to km. 245.980)	Markapuram Bypass from km. 203.500 to km. 207.000	3.500	21.45	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above
At km. 285.100 Near Raviguntapalli village in Prakasam District (From km. 245.980 to km. 293.266)	Kanigiri Bypass from km. 263.322 to km. 265.289	1.8275# (Excluding major bridge for 139.5m length)	24.70	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above

The length 1.8275 km (i.e. length of Kanigiri Bypass 1.967 km minus length of major bridge 139.50 m) could not taken up due to stay orders from High Court. User fee for the Kanigiri bypass may be collected as per PCC / CC, whenever the bridge actually gets completed.

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At km. 217.050 Near Mekalavaripalli village in Prakasam District (From km. 198.694 to km. 245.980)	0.701* (from km. 203.224 to km. 203.350 and from km. 208.960 to km. 209.535)	7.010	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km. 285.100 Near Raviguntapalli village in Prakasam District (From km. 245.980 to km. 293.266)	0.2143** (from km. 263.393 to km. 263.533 and from km. 275.222 to km. 275.296)	2.143	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of >60m structure is as under:

S. No.	Chainage (km.)		Length (m)
	From	To	
1	203.224	203.350	126.00
2	208.960	209.535	575.00
		Total	**701.00**

** The details of >60m structure is as under:

S. No.	Chainage (km.)		Length (m)
	From	To	
1	263.393	263.533	139.50#
2	275.222	275.296	74.80
		Total	**214.30**

The length 139.50 m. of major bridge part of Kanigiri Bypass could not taken up due to stay orders from High Court. User fee for the bridge may be collected as per PCC / CC, whenever the bridge actually gets completed.

IndiaCode

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of

mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 384.06 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[No. NHAI/13013/809/CO/16-17/GC-Markapuram-Vaggampalle]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.08 19:20:19 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.